

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं०20/12-13
नाथुन राम वनाम् दाहू यादव एवं अन्य
आदेश

आवेदक नाथुन राम पिता स्व०भगेडन राम ग्राम लारी थाना वो अंचल कुर्था जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित जमीन का सीमांकन करा कर दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित जमीन जो ग्राम लारी थाना कुर्था जिला अरवल मे अवस्थित है,निम्न है:-

खाता	खेसरा	रकवा	वौहदी
71	490	6 डी०	उ०-हाई स्कूल द०-जगदीश यादव वो जगदेव यादव पू०-दाहू यादव वो हाई स्कूल प०-स्व०-हरिकिशोर सिंह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित जमीन को आवेदक ने श्रीमती राजलक्ष्मी शर्मा पति श्री अरुण कुमार शर्मा से निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी प्राप्त किया है।
- (2) विवादित जमीन का डिमाण्ड पूर्व से विक्रेता के नाम कायम था तथा सभी फरीकैनों का अलग- अलग डिमाण्ड वर्षो पूर्व से कायम था तथा खरीदगी के पश्चात् प्रश्नगत भूमि का डिमाण्ड वादी के नाम कायम है और बिहार सरकार को राजस्व का भुगतान किया जा रहा है।
- (3) अंचल कार्यालय,कुर्था से नापी कराने के उपरान्त स्पष्ट हुआ कि वादी के कुछ अंश भूमि प्रतिवादीगण अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कब्जा किये हुए है।
- (4) वादी के विक्रेता के नाम से भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत है जिनसे भूमि क्रय करने का कार्य वादी द्वारा किया गया है।
- (5) प्रतिवादीगण वादी के भूमि खरीदने के पश्चात् प्रश्नगत खाता प्लॉट में भूमि खरीदने का कार्य किया है जबकि प्रतिवादी के विक्रेता अपने हिस्से से अधिक भूमि पूर्व में ही बिक्री कर चुके हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) प्रश्नगत खाता खेसरा की रकवा 3 डी०विपक्षी दाहू यादव द्वारा दिनांक 22.09.09 को सुदामा शर्मा पिता स्व०बैजनाथ शर्मा से खरीदगी प्राप्त है।
- (2) स्व०बैजनाथ शर्मा के दो पुत्र ललन शर्मा एवं शंभू शर्मा ने जगदीश यादव एवं जगदेव यादव के नाम निबंधित केवाला के माध्यम से बेच चुके हैं। उक्त दोनों क्रेताओं का नाम विवादित जमीन के चौहद्दीदार में दर्ज है।
- (3) विक्रेता राजलक्ष्मी के पिता स्व०श्रीनिवास शास्त्री,जो एक धार्मिक ब्यक्ति थे,प्रश्नगत जमीन में शिवमंदिर एवं देवीजी का एवं अन्य देवताओं का मंदिर बना दिया जो स्थल पर मौजूद है।
- (4) उक्त रकवे की जमाबंदी आज तक विक्रेता राजलक्ष्मी शर्मा के पूर्वज के नाम

पर चल रहा है जिसपर किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई और उसी जमाबंदी के आधार पर क्रेता नाथून राम का प्रतिवादीगण की भूमि पर दावा ठोक रहे हैं जो उचित नहीं है।

(5) श्रीमती राजलक्ष्मी शर्मा द्वारा निष्पादित केवाला वनाम् नाथून राम वगैरह दिनांक 17.03.09 के दक्षिणी चौहद्दीदार के उतर मात्र 3 डी०ही शेष उक्त खाते प्लॉट में है जिसके उतर खाता नं०71 प्लॉट नं०499 बाद मेन रोड व हाई स्कूल है, जो स्थल पर मौजूद है। इस प्रकार उक्त खाता खेसरा में दाहु यादव ने 3 डी०भूमि खरीद की है जो स्थल पर मौजूद है। इसके अलावा पूरब पश्चिम कोई जमीन उक्त खाता खेसरा का नहीं है तो प्रथम पक्ष 6 डी०जमीन कहीं से पावेंगे।

(6) प्रथम पक्ष का विवादित जमीन में न दखल कब्जा हुआ और ना ही जमीन चौहद्दी के मुताबिक पहचान हो सकी है।

(7) मंदिर वाली जमीन ही प्रथम पक्ष के विक्रेता ने नाथून राम को लिख दिया है जबकि प्रश्नगत भूमि के चौहद्दी में उतनी भूमि है ही नहीं और ना ही केवाला में दर्ज चौहद्दी सही है बल्कि प्रथम पक्ष के विक्रेता के पिता ने अपने जीवनकाल में प्रश्नगत खाता खेसरा में मिले हिस्से में मंदिर का निर्माण करवाया।

(8) प्रश्नगत खाता खेसरा की 3 डी०भूमि जो खरीदगी से द्वितीय पक्ष को हासिल है, उस पर आज तक शांतिपूर्ण दखल कब्जा द्वितीय पक्ष का है।

उपरोक्त तथ्यों के

आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। विवादित जमीन खाता 71 खेसरा 490 का कुल रकवा 26 डी०है, जिसमें से 6 डी०की जमाबंदी आवेदकगण के विक्रेता राजलक्ष्मी शर्मा के नाम से चल रही थी और वर्तमान में आवेदकगण के नाम चल रही है। आवेदकगण और विपक्षी दोनों का दावा है कि विवादित जमीन उनके विक्रेता के हिस्सा की है जिसे उन्होंने क़य किया है। वर्तमान में विवादित के 1.16 डी०रकवा पर विपक्षी का मकान बना हुआ है और 0.96 डी०पर ईट सोलिंग सड़क है, (संलग्न अंचल अमीन कुर्था के प्रतिवेदन के अनुसार)।

उक्त परिस्थिति में बिना स्वत्व के निर्धारण के विवादित जमीन का सीमांकन नहीं कराया जा सकता है। आवेदकगण को निदेश दिया जाता है कि वे सर्वप्रथम सक्षम न्यायालय से स्वत्व का निर्धारण कराये तदुपरान्त सीमांकन हेतु वाद दायर करें। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित्त एवं संशोधित

7.7.83
प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

7.7.83
प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।